

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र०-143/14

संस्थित दिनांक-24.02.14

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

विनोद पुत्र राजाराम जाटव उम्र 27 साल

निवासी हनीपुरा, थाना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 07.02.18 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279 एवं 338 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 20.02.14 के करीब 13:15 बजे अन्नी पहाडिया के मिल के सामने गोहद व चौराहा रोड पर ऑटो क्रमांक एम०पी० 30 आर 0883 को तेजी व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा फरियादी सुनील व आहत वीरसिंह को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 20.02.14 को फरियादी सुनील अपनी मोटरसाईकिल हीरोहोण्डा पेशन एमपी०-07 एम०एन०-8957 से अपने गांव मेहदोली के लिए जा रहा था, साथ में उसकी पत्नी उमा बैठी थी। पीछे की मोटरसाईकिल परिवार के संतोष व रविन्द्र भी जा रहे थे। गोहद निकलकर मिल के सामने करीब 1:15 बजे पहुंचे इतने में गोहद चौराहा तरफ से एक ऑटो चालक तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ लाया और मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी जिससे उसे चोटें आई, साथ ही ऑटो में बैठी एक सवारी वीरसिंह को भी चोटें आई। ऑटो चालक ऑटो लेकर भाग गया। उक्त आशय की सूचना से देहाती नालिसी लेख की गयी। आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। अप०क्र० 56/14 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, वाहन जब्त कर जब्ती पत्रक, अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिर० पत्रक बनाया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में कोई तथ्य न आने से दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

1—क्या अभियुक्त ने दिनांक 20.02.14 के करीब 13:15 बजे अन्नी पहाडिया के मिल के सामने गोहद व चौराहा रोड पर ऑटो क्रमांक एम0पी0 30 आर 0883 को तेजी व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2—क्या उक्त दिनांक व समय पर तथा फरियादी सुनील व आहत वीरसिंह को शरीर पर कोई चोट मौजूद थी, यदि हाँ तो उनकी प्रकृति ?

3—क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर सुनील व वीरसिंह को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में सुनील अ०सा० 1, उमा अ०सा० 2, संतोष अ०सा० 3, वीरसिंह अ०सा० 4 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु सभी विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

6. फरियादी सुनील अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि दो साल पहले 11 बजे वे अपनी मोटरसाईकिल एम0पी0-07 एम0एन0-8957 से अपनी पत्नी उमा के साथ जा रहे थे, पीछे उनका भाई संतोष जा रहा था। गोहद चौराहा के पहले धर्मकांटे पर एक ऑटो से एक्सीडेंट हो गया। साक्षी यह कथन करता है कि ऑटो कौन चला रहा था और उसका क्या नंबर था, उसे नहीं मालूम। उक्त ऑटो के तेजी से चलने का कथन करता है। अपने हाथ में फ्रेक्चर हो जाना और पैर में भी चोट आने का कथन करता है। ऑटो वाले को कहां लगी, यह बताने में अस्मर्थ है। साक्षी यह कथन करता है कि ऑटो वाला एक्सीडेंट करके भाग गया था जिसे आगे जाकर पकड़ लिया था। साक्षी अपने कथन में ऑटो से दुर्घटना होना अवश्य बताता है, किन्तु ऑटो का नंबर व उसके चालक के संबंध में कोई भी कथन करने में अस्मर्थ है। मुख्य परीक्षण में ही अभियुक्त को पहचानने से इंकार करता है। देहाती नालिसी प्र०पी० 1 पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर अवश्य बताता है, किन्तु देहाती नालिसी में कथित ऑटो पर मोबाईल नंबर 9826645271 लिखे होने के तथ्य से इंकार करता है। इस प्रकार से साक्षी कथित घटना में लिप्त वाहन एवं उसके चालक का कथन करने में अस्मर्थ है।

7. अन्य आहत वीरसिंह अ०सा० 4 भी अभियुक्त को नहीं जानता। साक्षी कथन करता है कि वह दो साल पहले सुबह 11 बजे गोहद चौराहा से सिरसौदा गांव ऑटो में बैठकर जा रहा था। करीब 1:15 बजे ऑटो का किसी मोटरसाईकिल से टक्कर हो जाने का कथन करता है। उक्त दुर्घटना में उसके दोनों पैर के पंजे में चोट आने एवं बाएं पैर की उंगली कट जाने का कथन करते हैं। साक्षी अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करते, इस कारण से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी इस तथ्य से इंकार करते हैं कि कथित ऑटो चालक ऑटो को तेजी व लापरवाही से चला रहा था व सवारियों के मना करने पर भी तेज चला रहा था। इस तथ्य से भी इंकार करते हैं कि गोहद की तरफ से एक मोटरसाईकिल जिस पर एक सवारी बैठी थी, उसमें ऑटो वाले ने टक्कर मार दी थी। साक्षी कथित दुर्घटना में मोटरसाईकिल चालक फरियादी सुनील राठौर के होने के तथ्य से इंकार करते हैं। साक्षी पुलिस कथन प्र०पी० 4 के संपूर्ण भाग को दिए जाने से इंकार करते हैं।

8. घटना के चक्षुदर्शी साक्षी फरियादी सुनील की पत्नी उमा अ०सा० 2 के रूप में प्रस्तुत की गयी, जो यह कथन करती हैं कि वे पति के साथ मोटरसाईकिल पर बैठकर मेहदोली जा रही थी, पीछे उनके भाई रविन्द्र और संतोष आ रहे थे। धर्मकांटे के पास एक ऑटो वाले ने तेजी से ऑटो चलाकर टक्कर मार दी। उक्त दुर्घटना में पति सुनील को चोट आना बताती है, किन्तु ऑटो चालक को पहचानने में अस्मर्थ हैं। साथ ही कथित ऑटो का नंबर भी बताने में अस्मर्थ है। अन्य चक्षुदर्शी संतोष अ०सा० 3 के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो कथन करते हैं कि घटना दिनांक 20.02.14 को वे अपनी मोटरसाईकिल पर रविन्द्र को बिठाकर ग्राम मेहदोली जा रहे थे, उनके आगे आगे फरियादी सुनील अपनी पत्नी उमा को बिठाकर जा रहे थे तभी करीबन 1:15 बजे गोहद से निकलकर अन्नू पहाडिया मिल के सामने साईड की रोड पर पहुंचे तभी गोहद चौराहा तरफ से एक ऑटो वाले ने सुनील को टक्कर मार दी इसके बाद ऑटो लेकर चला गया था। साक्षी पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इंकार करते हैं कि कथित ऑटो चालक ऑटो को तेजी व लापरवाही से चलाकर सुनील की मोटरसाईकिल में टक्कर मारी थी। साक्षी प्र०पी० 3 के पुलिस कथन में सारवान ए से ए भाग का कथन पुलिस को देने से इंकार करते हैं।

9. प्रकरण में सर्वोत्तम साक्षी आहतगण एवं चक्षुदर्शी साक्षी उमा अ०सा० 2 एवं संतोष अ०सा० 3 द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में न तो कथित दुर्घटना में लिप्त ऑटो की पहचान को सुनिश्चित करने का कोई तथ्य बताया है और न ही कथित ऑटो कौन चला रहा था, इस संबंध में कोई कथन किया है। घटनास्थल पर कोई भी ऑटो घटना दिनांक को जब्त नहीं हुआ है। अभियोगपत्र के अनुसार दिनांक 23.02.14 को कथित ऑटो अभियुक्त से जब्त होना बताया गया है, किन्तु घटना दिनांक को ऑटो अभियुक्त चला रहा था, इस संबंध में अभियोजन की कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर

नहीं हैं। अन्य साक्ष्य संपोषक प्रकृति की है, जो कि अभियुक्त के विरुद्ध सारवान साक्ष्य के अभाव में कोई महत्व नहीं रखती है। अभियुक्त द्वारा कथित वाहन की जब्ती का तर्क मान भी लिया जाए तो इससे यह तथ्य प्रमाणित नहीं हो जाता है कि अभियुक्त ही घटना दिनांक को कथित वाहन चला रहा था।

10. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसने दिनांक 20.02.14 के करीब 13:15 बजे अन्नी पहाडिया के मिल के सामने गोहद व चौराहा रोड पर ऑटो क्रमांक एम0पी0 30 आर 0883 को तेजी व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा फरियादी सुनील व आहत वीरसिंह को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 279, 338 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11. अभियुक्त की जमानत भारहीन की गयी, उसके निवेदन पर मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।

12. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधनमुक्त हो। अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

13. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, यदि कोई हो, तो उसके संबंध में धारा 428 का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश